मेल

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–2555162
E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 56/2015/चार/7935 भोपाल, दिनांक 19.9.17 20-9-17

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त मध्यप्रदेश

विषयः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 56/GL/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-1/2017 Dated 08.09.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2017 का अवलोकन करें। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिए गए है।

भविष्य में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनैतिक दल के पंजीयन के पूर्व उनके द्वारा दिए गए कार्यालयीन पते के संबंध में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से सत्यापन कराया जावेगा। आयोग द्वारा चाहा गया सत्यापन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 30 दिन के अन्दर प्रेषित किया जावेगा।

कृपया आयोग के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
(हिन्दी + English)

(एस.एस.बंसल) 19.9.17
प्रभारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 56/2015/चार/7936 भोपाल, दिनांक 20-9-17

प्रतिलिपि :–

1. श्री अजय कुमार वर्मा, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक 56/GL/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-1/2017 Dated 08.09.2017 के संबंध में सूचनार्थ।
2. रिटर्निंग आफिसर, समस्त विधानसभा क्षेत्र, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. CEO की web site पर अपलोड हेतु
5. गार्ड फाईल क्रम (4)

(एस.एस.बंसल) 19.9.17
प्रभारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

By Speed Post/Email

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 56/GL/LET/ECI/FUNC/PP/PPS-I/2017 Dated: 8th September, 2017

To,

The Chief Electoral Officers
of all States and Union Territories

Subject: - Furnishing of No Objection Certificate for registration of Political Party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951- regarding

Sir/Madam,

I am directed to state that as per the Commission's guidelines for registration of political party under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, a Party seeking registration is required to furnish various documents and particulars along with its application to the Commission. Submission of a 'No Objection Certificate' (NOC) from the Local Body, Municipality, Municipal Corporation etc. is one such document. This is required so as to ensure that there is no prohibition under any Law or under the Rules and Regulations of the Local Authorities to set up political party office in the building/premises, which is mentioned as the party's office. However, it has been observed that there is no uniformity for issuance of the NOC by the Local Bodies, Municipal Corporations in different parts of the country. In some places, the Municipal Bodies inform the Party that they do not have any provision to issue such 'NOC'.

2. In order to streamline the process and to maintain uniformity and proper scrutiny of address of the applicant, the Commission has decided that, in future, the District Election machinery may be involved for verification of the address of the party. The Commission has accordingly directed that the District Election Officer shall be asked to get verification done in every future case whether the party exists on, and functions from, the given address and whether there is any legal impediment to running of the office from that particular address. To avoid delay, the DEOs are required to furnish their report within a period of 30 days from the date of issuance of

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 56/जीएल/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/राद/पीपीएस-I/2017 दिनांक: 8 सितम्बर, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दलों के पंजीकरण के लिए 'अनापति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के पंजीकरण के लिए आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की इच्छा रखने वाले किसी भी दल को अपने आवेदन के साथ आयोग को विभिन्न दस्तावेज और ब्योरे भेजना अपेक्षित है। स्थानीय निकाय, नगर-पालिका, नगर निगम इत्यादि से 'अनापति प्रमाणपत्र' (एनओसी) जमा कराना ऐसा ही एक दस्तावेज है। इसकी आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भवन/परिसर में राजनैतिक दल का कार्यालय, जिसका उल्लेख पार्टी कार्यालय के रूप में किया गया है, स्थापित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के नियमों और विनियमों के अधीन या किसी विधि के अधीन कोई मनाही नही है। तथापि, यह देखा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय निकायों, नगर निगमों द्वारा एनओसी जारी करने के लिए कोई एकरूपता नहीं है। कुछ हिस्सों में नगरपालिका निकायों ने पार्टी को सूचित किया है कि उनके पास ऐसे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. इस प्रक्रिया को और सरल बनाने और इसमें एकरूपता बनाए रखने तथा आवेदक के पते की उचित छानबीन करने के लिए आयोग ने निर्णय किया है कि भविष्य में जिला निर्वाचन तंत्र को पार्टी के पते के सत्यापन में सम्मिलित किया जाए। तद्नुसार, आयोग ने निदेश दिया है कि